

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

मैनुअल नं. 6/प्रा.पत्र/2025
(GCMS No. 2025 / 19)

तारीख दायरा

28.01.2025

तारीख निर्णय

10.02.2025

दी बून्दी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
सब्जी मण्डी, बून्दी जयें प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री गोवर्धनलाल पुत्र मोडूलाल जाति काछी,
श्रीमती सोहनीवाई पत्नी गोवर्धनलाल जाति काछी,
पता- शीतला गली, काछी मोहल्ला, वार्ड सं. 16,
छत्रपुरा, बून्दी जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण (ऋणी/जमानती)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से श्री आनंद सिंह नरुका एड0

आदेश

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दी बून्दी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सब्जीमण्डी बून्दी में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.01.2016 को कुल रूपये 4,50,000/- का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री गोवर्धनलाल, श्रीमती सोहनीवाई व श्री मोडूलाल की सम्पत्ति शीतला गली, काछी मोहल्ला, वार्ड सं. 16, छत्रपुरा, बून्दी जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 89.36 वर्गगज है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा

अ
जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.04.2018 को अक्रियान्विति आस्ति NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 5,61,666/- बकाया रकम दिनांक 26.06.2024 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.06.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित करवाये जाने के बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी/बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभालाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

इस संबंध में अभिभाषक प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 में दिनांक 16.08.16 को किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र के संलग्न सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिभूत आस्ति क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है। इस न्यायालय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है कि क्या प्रतिभूत आस्ति उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने बाबत आदेश जारी किया जाना उचित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।



af
अभिभाषक प्रार्थी

अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था दी बून्दी अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी की/बंधककर्ता की बंधक आवासीय सम्पत्ति श्री गोवर्धनलाल, श्रीमती सोहनीबाई व श्री मोडूलाल की सम्पत्ति शीतला गली, काछी मोहल्ला, वार्ड सं. 16, छत्रपुरा, बून्दी जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 89.36 वर्गगज है, (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार है, पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में- श्री मन्नाजी का मकान, उत्तर में- श्री अमरचन्द जी एवं श्री चौथमल जी मकान, दक्षिण में- आम रास्ता), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना इमदाद उपलब्ध करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस इमदाद के खर्च का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जाकर राशि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करवायी जायेगी। प्रार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि कब्जा लेने से पूर्व तारीख एवं समय नियत कर आदेश की सूचना अप्रार्थीगण को दें, ताकि वह अपना सामान हटा सकें। हस्तगत आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्त कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश कियाचित न कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ़तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गुप्ता)
जिला मैजिस्ट्रेट बून्दी